रांची में, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग को छोड़कर, अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

01. W.P.(S) No. 2785/2019- अरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–10.08.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–09.12.1986 से प्रदत्त नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधी Notional Benefit तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किये वाद की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधित वास्तविक वित्तीय लाभ अन्य संबंधित कर्मियों को प्रदान करने के संबंध में। **01. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

02. राज्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में संचालित किये जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदण्ड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु नये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **02. स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

03. सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना हेतु "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024" के अनुमोदन के संबंध में। **03. स्थगित।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

04. इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 के अनुमोदन के संबंध में। **04. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

05. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने के संबंध में। **05. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

06. गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर–सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन के संबंध में। **06. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

07. सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दण्डाधिकारी (Principal Magistrate), अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)–II का 01 (एक) पद सृजन के संबंध में। **07. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

08. चाईबासा न्यायमण्डल में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन के संबंध में। **08. स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

09. नये झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के कार्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

09. इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि बाह्य स्त्रोत के माध्यम से सेवा प्राप्त किये जाने वाले पदों की परिनियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा रांची से किया जाय।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. मझियांव नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रू० 7382.60 लाख (तिहत्तर करोड़ बयासी लाख साठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. झारखण्ड भवन उपविधि–2016, यथा संशोधित, में संशोधन के संबंध में।

11. स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

12. राज्य के विश्वद्यिालयों के अन्तर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवानिवृत हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7^{th} CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक–01.04.2021 से स्वीकृत करने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

13. बी०आई०टी० मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018–19 से 2024–25 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उक्त एकरारनामा के शर्त्तों के अधीन बी०आई०टी० मेसरा को Phase Wise सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबध में। **13. स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

14. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

15. पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र दिनांक–23.02.2024 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

16. The High Court of Jharkhand Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness 2024 लागू करने के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

17. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत् देवघर जिलान्तर्गत देवघर पुलिस लाईन में 225 बेडेड 08 बैरक के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रू० 42,19,57,500/– (बयालीस करोड़ उन्नीस लाख संतावन हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

18. NPS से OPS में परिवर्तित होने वाले कर्मियों के पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन के संबंध में। **18. स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

19. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा एल०पी०ए० संख्या–203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश को लागू करने हेतु सिद्धातों का निरूपण। **19. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

20. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

पथ, निर्माण विभाग

21. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "उलीडीह (NH-75 पर)– चैनपुर–सहजोरा–मेहुलपानी–चारमोर (MDR-186 पर) पथ (कुल लम्बाई–15.46 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)'' हेतु रू० 48,95,17,900/– (अड़तालीस करोड़ पंचानबे लाख सतरह हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

22. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् क्रियान्वित पोषण अभियान योजना के तहत् आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति निमित्त दर संशोधन की स्वीकृति। 22. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

23. केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं (आशा) को राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कुल 1,14,25,00,000/–(एक अरब चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए टैब क्रय कर उपलब्ध कराने के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

24. झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्त्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

25. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

26. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स को 500 एम०टी० क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्पस/ पैक्स के रूप में विकसित करने की योजना हेतु रूपये 100.00 (एक सौ) करोड़ मात्र की स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

27. झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 में संशोधन के सम्बन्ध में। **27. स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

28. राज्य में जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण (End-to-End Computerisation of PDS) योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में Aadhaar based biometric authentication हेतु उपयोग में लाए जा रहे 2G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के स्थान पर 4G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

29. राज्य योजनान्तर्गत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत् झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नई डेयरी प्लान्ट तथा होटवार, राँची में मिल्क पाउडर प्लान्ट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लान्ट की स्थापना निमित्त कुल 32038.00 लाख रू० (तीन अरब बीस करोड़ अड़तीस लाख रूपये) की नाबार्ड अन्तर्गत RIDF से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू० 16019.00 लाख (एक अरब साठ करोड़ उन्नीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति। **29. स्वीकृत।**

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

30. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के लैम्पस/पैक्स को 100 एम०टी० गोदाम, मार्केटिंग सेन्टर एवं ड्राईंग यार्ड का निर्माण योजना हेतु रूपये 200.00 (दो सौ) करोड़ मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

30. स्वीकृत।